



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जून 2022—आषाढ़ 1, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2022

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (35) : इस विभाग की मूल अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (42) दिनांक 05 अगस्त, 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 433 दिनांक 05 अगस्त, 2017 में प्रकाशित की जा चुकी है, में निम्न शुद्धिपत्र प्रकाषित किया जाता है:-

//शुद्धिपत्र//

(क) अनुसूची I-2.5 % में, -

- (i) क्रम सं. 59 में, 1 स्तंभ (3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं. 92 में, -
 - (क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;
 - (ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा" पढ़ा जाये;
- (iv) क्रम सं. 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान" पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं. 220 में, स्तंभ (3) में -
 - (क) "साइमा" के स्थान पर सलमा" पढ़ा जाये;
 - (ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये;
 - (ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं० 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात्, स्थापित करें "(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हो अथवा नहीं";

(ख) अनुसूची II-6 % में,-

(i) क्रम सं० 14 में, स्तंभ (3) में "शैल्ड या पील्ड", के पश्चात्, स्थापित करें "और शुष्क नारियल";

(ii) क्रम सं० 16 में, स्तंभ (3) में "छुआरा" के स्थान पर छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं० 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्या 1 (च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1 (छ)", पढ़ा जाये;

(iv) क्रम सं० 74 में, स्तंभ (3) में "3302" के स्थान पर "3301" पढ़ा जाये।

(v) क्रम सं० 231 में, स्तंभ (3) में "शीर्षक 9208" के स्थान पर "शीर्षक 9208 या 9705" पढ़ा जाये;

(ग) अनुसूची III-9 % में,-

(i) क्रम सं० 55 में, स्तंभ (3) में "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही" के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं० 133 में, स्तंभ (3) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" के स्थान पर "कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा" पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं० 233 में, स्तंभ (3) में "सिलाई की सुइयां" का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम सं० 247 में, स्तंभ (3) में '0.12.5 मिलीमीटर" के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं० 323 में, स्तंभ (2) में "8522 90" के स्थान पर "8422 90" पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं० 395 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशीय फाइबर केबल" पढ़ा जाये;

(vii) क्रम सं० 447 में, स्तंभ (3) में "और अन्य लेखनी" का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची IV - 14 % में,-

(i) क्रम सं० 158 में स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स" पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं० 161 में, स्तंभ (3) में प्रकाशिक फाइबर" के स्थान पर प्रकाशिक फाइबर केबल्स" पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं० 215 में, स्तंभ (3) में "विडियो गेम कंसोल्स और मशीन" के स्थान पर "विडियो गेम्स कंसोल्स और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला बिलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोट्स, कैसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" पढ़ा जाये ।

2. इस अधिसूचना के समानांतर अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (85) दिनांक 05 अगस्त, 2017 जारी की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव,